



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1100 वर्ष 2026

राधा कृष्ण एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप संचालक चकबंदी एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अग्निवेश, जदुनन्दन यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एन. यादव तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री संजय कुमार राय को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा अभिलेख मंगवाते हुए प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा पारित दिनांक 16.12.2025 के आक्षेपित आदेश तथा प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 29.04.2025 के आदेश (याचिका के परिशिष्ट संख्या-1 एवं 2) को निरस्त किया जाए।"

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रत्यर्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना आवेदन अत्यधिक विलंबित है, अतः विलंब क्षमा का प्रश्न सर्वप्रथम निर्णीत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण की ओर से चकबंदी अधिकारी के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि विलंब क्षमा का प्रश्न पहले निर्णीत किया जाए, किन्तु याचिकाकर्तागण के उक्त आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि विलंब क्षमा तथा गुण-दोष दोनों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को भी उप संचालक चकबंदी द्वारा मनमाने ढंग से निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने **2022 (155) आर.डी. 309, राम प्रकाश बनाम उप संचालक चकबंदी एवं अन्य** के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि विलंबित कार्यवाही में विलंब क्षमा के प्रश्न का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना चाहिए तथा उसके पश्चात ही गुण-दोष पर विचार किया जाना चाहिए।

4. राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विलंब क्षमा तथा पुनर्स्थापना से संबंधित प्रश्न चकबंदी अधिकारी के समक्ष लंबित हैं, जिन्हें विधि अनुसार समुचित रूप से निस्तारित किया जाएगा, अतः किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 9 ए(2) के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के पिता द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही दिनांक 12.12.1995 को अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त कर दी गई थी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना आवेदन भी वर्ष 2007 में निरस्त कर दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता की ओर से विलंब क्षमा प्रार्थना के साथ पुनर्स्थापना आवेदन पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में चकबंदी अधिकारी के समक्ष लंबित है।

7. इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा **राम प्रकाश (उपरोक्त)** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि विलंबित कार्यवाही में विलंब क्षमा के प्रश्न का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना चाहिए तथा उसके पश्चात ही गुण-दोष पर विचार किया जाना चाहिए। **राम प्रकाश (उपरोक्त)** के निर्णय के पैरा संख्या 19, 20, 21, 22 एवं 23 निम्नवत् हैं:-

"19. हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या विलंब क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है अथवा अंतिम, क्योंकि उक्त प्रश्न को खण्डपीठ द्वारा विचार हेतु संदर्भित नहीं किया गया है। अपील के साथ विलंब क्षमा हेतु आवेदन प्रस्तुत होने की विभिन्न परिस्थितियाँ हो सकती हैं। प्रथम, विलंब क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपील भी स्वतः निरस्त हो जाएगी। दूसरी स्थिति यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हो सकती है कि विलंब क्षमा हेतु आवेदन स्वीकार कर लिया जाए तथा तत्पश्चात अपील या तो स्वीकार की जाए या निरस्त की जाए।

20. यदि किसी अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने हेतु एक निश्चित अवधि निर्धारित है, तो उस समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत अपील निश्चित रूप से ग्रहण नहीं की जा सकती। यदि 1963 अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं तथा किसी पक्षकार को अपील प्रस्तुत करने में विलंब क्षमा कराने का अधिकार प्राप्त है, तो उसे विलंब के कारणों का उल्लेख करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। केवल उसी स्थिति में, जब उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया जाए, अपील को ग्रहण कर उसके गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है। इसके पूर्व अपील को गुण-दोष के आधार पर नहीं सुना जा सकता।

21. जहां तक विलंब क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन तथा अपील की एक साथ सुनवाई के प्रश्न का संबंध है, हमारे विचार में सर्वप्रथम विलंब क्षमा आवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है। केवल उसके पश्चात ही अपील को गुण-दोष के आधार पर सुना जा सकता है, किन्तु विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि विलंब क्षमा आवेदन के स्वीकार होने के पश्चात ही अपील की सुनवाई पृथक दिन पर की जाए। दोनों पर एक ही दिन विचार किया जा सकता है, तथापि अपील को गुण-दोष के आधार पर तभी सुना जाएगा जब विलंब क्षमा आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो।

22. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत हम खण्डपीठ द्वारा संदर्भित प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि विलंब क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना आवश्यक है, उसके पश्चात ही अपील को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई हेतु लिया जा सकता है। तथापि, यह कार्यवाही एक ही दिन में भी की जा सकती है तथा विलंब क्षमा आवेदन के स्वीकार होने के पश्चात अपील की गुण-दोष पर सुनवाई को स्थगित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. मामले को कार्य आवंटन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।"

8. इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा उपर्युक्त रूप से उद्धृत विधि-प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/चकबंदी अधिकारी, फर्रुखाबाद सर्वप्रथम विलंब क्षमा संबंधी प्रश्न पर विचार कर उसका निस्तारण करेंगे तथा उसके पश्चात पुनर्स्थापना आवेदन पर विधि अनुसार विचार कर निस्तारण करेंगे। उक्त समस्त कार्यवाही चकबंदी अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र, यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण की जाएगी।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

24 मार्च, 2026

पीएस*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।